चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 4

बुधवार, 28 फरवरी, 2007
9 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 2 Aug 2007

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 4, बुधवार, 28 फरवरी, 2007/9 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	**कॉलम**
सामान्य बजट-2007-2008	
श्री पी. चिदम्बरम	1-45
राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण	
श्री पी. चिदम्बरम	45-46
वित्त विधेयक, 2007	
श्री पी. चिदम्बरम	46

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 28 फरवरी, 2007/9 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सामान्य बजट, 2007-2008

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

I. अर्थव्यवस्था के संबंध में मध्यावधि रिपोर्ट

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने नवम्बर, 2006 में अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अनेक सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अब मैं उन दोनों के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर, 2004-05 में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) हो गई और अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह 2006-07 में 9.2 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तीन वर्षों में औसत वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रही। इस प्रभावकारी वृद्धि के फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य, 2002-03 में असंतोषजनक शुरुआत के बावजूद, लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा।

विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि का मुख्य आधार है और भविष्य के लिए इसके शुभ संकेत हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तीन वर्षों में, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत तथा आगे बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि जारी है और इसमें इन तीन वर्षों में क्रमशः 9.6 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं। दसवीं योजना अवधि के दौरान 2.3 प्रतिशत औसत वृद्धि होने के अनुमान है, जो 4 प्रतिशत वार्षिक के वांछित स्तर से कम है। लगभग 115 मिलियन परिवारों को कृषक परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इतनी अधिक जनसंख्या वाले देश को अनिवार्य खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग पूर्णतया आत्म निर्भर होना है, अन्यथा आपूर्ति संबंधी अड़चनें वृहत आर्थिक स्थायित्व और वृद्धि संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार कृषि नीति निर्माताओं के एजेंडा में सर्वोपरि होनी चाहिए और हमारे संसाधनों के संबंध में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं थोड़ी देर में इसके संबंध में कुछ प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

आय तथा बचत

प्रगति रिपोर्ट से शुरुआत करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय में, सही मायने में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बचत दर 32.4 प्रतिशत तथा निवेश दर 33.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। मुझे आशा है कि ये उच्च वृद्धि दरें मौजूदा वर्ष में भी जारी हैं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आर्थिक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थायित्व के प्रति वचनबद्ध रही है।

राजस्व आय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ी है। हमने अतिरिक्त राजस्वों का संग्रहण किया तथा माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मैंने समग्र वृद्धि, इक्विटी और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को संवर्धित करने के लिए इन राजस्वों का सदुपयोग किया है, जो राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसके अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

मुद्रास्फीति की स्थिति

बैंक ऋण वर्ष दर वर्ष 2 फरवरी, 2007 तक 29.6 प्रतिशत बढ़ गया है। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 21.3 प्रतिशत तक बढ़ी है। विदेशी मुद्रा रिजर्व 180 बिलियन अमरीकी डालर है। यद्यपि ये उच्च वृद्धि की सहवर्ती विशेषताएं हैं, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन मौद्रिक प्रवृत्तियों से कीमतों पर दबाव आया है। विश्व में वस्तुओं की विद्यमान कीमतों के स्तर से भी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है। साथ ही साथ गेहूं, दालों और खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति संबंधी अड़चनें सामने आई हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2006-07 में औसत मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2 और 5.4 प्रतिशत के बीच लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 4.4 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी मुद्रास्फीति के संबंध में चिन्तित है। सरकार ने

[श्री पी. चिदम्बरम]

राजकोषीय, मौद्रिक और आपूर्ति के संबंध में पहले ही अनेक उपाय कर लिए हैं जिससे कि कीमतों में स्थायित्व बना रहे और यदि जरूरत हुई तो वह और उपाय करने में नहीं हिचकेगी। जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार 2004 में सत्ता में आई थी, उस समय मुद्रास्फीति संबंधी ग्राफ बढ़ रहा था परन्तु हम मुद्रास्फीति कम करने में सफल रहे और हमें विश्वास है कि इस वर्तमान मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्ति को भी कम कर सकेंगे।

महोदय, मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि वायदा बाजार आयोग, जो विनियामक है, ने सरकार को सूचित किया है कि आज की तारीख से कोई नई वायदा संविदाएं गेहूं और चावल के संबंध में नहीं की जाएंगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने जिंसों में वायदा व्यापार करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है जो उपभोक्ता को प्रभावित करने वाली आवश्यक जिंसों के वायदा व्यापार संबंधी सभी पहलुओं की जांच करेगी। समिति से अपनी रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि प्रधान मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को 21 फरवरी, 2007 को पत्र लिखते हुए उन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिनसे सट्टेबाजी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी हो सकती है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने की उचित प्रणाली लागू करें तथा सुधारात्मक कार्रवाई करें। यद्यपि केन्द्रीय सरकार मुद्रास्फीति को सामान्य रखने हेतु प्रभावी उपाय उठाती रहेगी, परन्तु प्रधानमंत्री ने इस संबंध में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया है।

II. भारत निर्माण और अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

भारत निर्माण, सरकार की नीति का मूल आधार है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा वित्त वर्ष में:

* त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 900,000 हेक्टेयर सहित 2,400,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी;
* दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों को पेयजल उपलब्ध कराया गया जबकि लक्ष्य 73,120 आवासों का था;
* दिसम्बर, 2006 तक 12,198 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। आरआईडीएफ के अधीन अलग विंडो से इस कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष निधियों में 4000 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी होगी;
* दिसम्बर, 2006 तक 783,000 ग्रामीण घरों का निर्माण कार्य किया गया है तथा 914,000 घरों का निर्माण कार्य चल रहा है और 1,500,000 घरों के निर्माण कार्य का वार्षिक लक्ष्य पार कर लिए जाने की संभावना है;
* राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक 19,758 गांवों को शामिल किया गया है; और
* 20,000 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले, 15,054 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराएं गए हैं, तथा शेष गांवों को इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारत निर्माण प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ा जा रहा है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आठ अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। इस समय, इन कार्यक्रमों का मैं कुछ विस्तारपूर्वक उल्लेख करना चाहूंगा।

III. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ

वर्ष 2007-08 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ होगा। इसका घोषित लक्ष्य है-''त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास''। मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि इस योजना की पूर्व संध्या पर, अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है जो इससे पहले कभी नहीं रही। इसलिए हमारे लिए यह उचित हो जाता है कि उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह उल्लेख है कि इस ''योजना का उद्देश्य निरंतर वृद्धि के पथ पर अर्थव्यवस्था का विकास करना है जिससे इस अवधि की समाप्ति पर लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हो सके''। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं: कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि, तीव्रतर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं सहित मूल भौतिक आधारभूत संरचना की सुलभता सुनिश्चित करना। मैंने विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करते समय, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखा है।

सकल बजटीय सहायता

कुछ अड़चनों के होते हुए भी, मैं इस आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। 2006-07 में सकल बजटीय सहायता 172,728 करोड़ रुपए

नियत की गई थी और इसमें से केन्द्रीय आयोजना के लिए सहायता 131,284 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2007-08 के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 205,100 करोड़ रुपए की जाएगी। इसमें से केन्द्रीय आयोजना के लिए 154,939 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

मुख्य क्षेत्रों के लिए आवंटन

मैं भारत निर्माण के लिए, 2006-07 में 18,696 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) की तुलना में, 2007-08 में 24,603 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। यह 31.6 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की पर्याप्त निधियां प्राप्त करेंगे। मैं, वर्ष 2007-08 में शिक्षा के लिए आवंटन 34.2 प्रतिशत बढ़ाकर 32,352 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 21.9 प्रतिशत बढ़ाकर 15,291 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना

संसाधनों के आवंटन में स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अत: मैं स्कूली शिक्षा के लिए, 2006-07 में किए गए 17,133 करोड़ रुपए के आबंटन में लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि करके इसके लिए 2007-08 में 23,142 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

इस राशि में से, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को 10,671 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, मैं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान 162 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। अगले वर्ष हम 200,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और 500,000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करेंगे।

मध्याह्न भोजन योजना के लिए अगले साल 7,324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम वर्ष 2007-08 के आरंभ में, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों की संख्या बढ़ाने के अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,427 प्रखंडों में उच्च प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण 8,746 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,393 करोड़ रुपए किया जाएगा।

जैसे-जैसे अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रयोजनार्थ योजनाएं बनाई जा रही हैं, और मैं माध्यमिक शिक्षा के लिए 2006-07 में किए गए 1,837 करोड़ रुपए के प्रावधान को दुगना कर 2007-08 में 3,794 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियां

यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान से स्कूलों में नामांकन दर में 96 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, फिर भी स्कूल बीच में छोड़ने वालों का अनुपात अधिक बना हुआ है। कक्षा 8 से 9वीं के बीच वाले वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष प्रतीत होते हैं जब विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ने के अनुपात को कम करने और विद्यार्थियों को कक्षा 8 के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से मैं एक राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरु करने का प्रस्ताव करता हूं। आठवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थीयों में से राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित करके चयन किया जाएगा। अगले वर्ष से ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मैं प्रतिवर्ष 100,000 छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए, मैं इस वर्ष, 750 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि निधि कार्पस में और देने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक को 750 करोड़ रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस निधि से होने वाली आय का उपयोग छात्रवृत्तियां देने के लिए किया जाएगा।

पेय जल और स्वच्छता

राजीव गांधी पेय जल मिशन के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों तथा 34000 स्कूलों को पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अब तक इस मिशन में शामिल न की गई अथवा छूट गई बस्तियों दोनों के लिए 2007-08 हेतु अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मैं इस मिशन के वास्ते 2006-07 में किए गए 4,680 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2007-08 में 5,850 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में, मैं इस वर्ष किए गए 720 करोड़ रुपए के प्रावधान को, बढ़ाकर अगले वर्ष 954 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

स्वास्थ्य क्षेत्र; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अपने कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष अपनी समय-सीमा के अनुसार कार्य कर रहा है। जिला और निचले स्तरों पर सभी स्वास्थ्य योजनाओं के सांस्थानिक एकीकरण का कार्य कर लिया गया है। देश में सभी जिले मार्च,

[श्री पी. चिदम्बरम]

2007 तक जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं बनाने का कार्य पूरा कर लेंगे। माता ओर बच्चे की परिचर्या तथा क्षय रोग और मलेरिया जैसी संचारी बीमारियों के निवारण एवं उपचार पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों (एमएचडी) के माध्यम से टीकाकरण, प्रसव-पूर्व देख-रेख तथा पोषाहार एवं स्वच्छता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच ताल-मेल रखा जाना है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 320,000 सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए) की भरती की गई और 200,000 से अधिक ने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा 90,000 संपर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित एएसएचए को लगाए जाने से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख में पर्याप्त सुधार होगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों (आयुष) को अभी सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रदायक प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2006-07 में किए गए 8,207 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2007-08 में 9,947 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

एचआईवी/एड्स

सरकार ने एचआईवी/एड्स की गोपनीयता को समाप्त किया है और इस बीमारी को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के साहसिक एवं दृढ़ निश्चयी प्रयास करने का वादा किया है। यदि इस बीमारी की व्यापकता दर, जनसंख्या के 1 प्रतिशत से कम है तो इस बीमारी को नियंत्रित समझा जाएगा। 2007-08 में शुरू हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-III) तथा एनएसीपी-I और एनएसीपी-II के निर्माण के लक्ष्य सभी राज्यों में उच्च जोखिमों वाले समूह होंगे। हम कन्डोम की सुलभता बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी के लिए रक्त जांच और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता हो। ज्यादा अस्पतालों में एचआईवी/एड्स के इलाज की व्यवस्था होगी जिससे यह बीमारी मां से बच्चे को न लग पाए। भारतीय डाक्टरों द्वारा विकसित तथा 2006 में शुरू की गई बाल चिकित्सा खुराक संबंधी प्रोटोकाल के लिए, सहायता दी जाएगी। मैं, वर्ष 2007-08 के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रावधान बढ़ाकर 969 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

पोलियो

मैंने पिछले वर्ष यह आशा प्रकट की थी कि दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियो को खत्म कर दिया जाएगा। तथापि, 2006 के शुरू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलियो फैलने की घटना हुई थी। पोलियो उन्मूलन की कार्यनीति को संशोधित किया गया है। पोलियो वैक्सीन देने के अभियानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मनोवालेन्ट वैक्सीन शुरू किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश के 20 तथा बिहार के 10 उच्च जोखिम वाले जिलों को सघन कवरेज दिया जाएगा। कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एकीकृत कर दिया गया है। एएसएचए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक बच्चे का पता लगाएंगे। मैं, पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2007-08 में 1,290 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के विस्तार के द्वितीय चरण में सरकार ने 173 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं, 107,274 आंगनवाड़ी केन्द्रों और 25,961 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की मंजूरी दी है। ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी बस्तियों और अधिवासों को इसमें शामिल करने और इसे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना के विस्तार के लिए वचनबद्ध है। मैं एकीकृत बाल विकास सेवाओं के निमित्त वर्ष 2006-07 में आवंटित 4,087 करोड़ रुपए को बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 4,761 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) 2 फरवरी, 2006 को आरंभ की गई थी। इसके क्रियान्वयन की गति अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मांग उत्प्रेरित योजना है, इसमें रोजगार की कानूनी गारंटी निहित है, अत: बजट आवंटन को आवश्यकता के अनुसार सम्पूरित करना होगा। अत: मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए (एनईआर संघटक सहित) 12,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अगले वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार वर्तमान 200 जिलों से 330 जिलों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने इस स्कीम के अंतर्गत शामिल न किए गए जिलों में ग्रामीण रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) का लक्ष्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के बीच स्व-रोजगार का विकास करना है। मैं, वर्तमान वर्ष के

1,200 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर अगले वर्ष में 1,800 करोड़ रुपए (एनईआर संघटक सहित) करते हुए इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूं।

शहरी बेरोजगारी

शहरी बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन का मुद्दा समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए आवंटन 2006-07 में 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को राज्य सरकारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आज की तारीख तक कई राज्यों के अनेक शहरों में जलापूर्ति, स्वच्छता, परिवहन, सड़क और आवास जैसे क्षेत्रों में 23,950 करोड़ रुपए की कुल लागत से 538 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं यह आवंटन 2006-07 में 4,595 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 4,987 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों को अपरिवर्तित रखा गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन, मानीटरिंग, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक आयोजना स्कीम 2007-08 में कार्यावित की जाएगी और इसमें पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण और भारतीय खाद्य निगम में एक समेकित सूचना प्रणाली शामिल होगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

वर्ष 2005-06 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेजों में रखे गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2007-08 में आवंटन काफी बढ़ाया गया है। केवल अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के संबंध में मैंने आवंटन बढ़ाकर 3,271 करोड़ रुपए कर दिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कम से कम 20 प्रतिशत लाभ की योजनाओं के संबंध में मैंने आवंटन बढ़ाकर 17,691 करोड़ रुपए कर दिया है।

एम.फिल और पी.एच.डी. में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जाती है। मैं इस, कार्यक्रम के लिए आवंटन 2006-07 में 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 88 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। मैं इन छात्रवृत्तियों के लिए 2006-07 के 440 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 611 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ऐसी ही छात्रवृत्ति हेतु 91 करोड़ रुपए के अलग प्रावधान का भी प्रस्ताव करता हूं।

अल्पसंख्यक

पिछले वर्ष मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की इक्विटी में 16.47 करोड़ रुपए का एक छोटा सा अंशदान किया था। सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद एनएमडीएफसी को अपने दायरे का विस्तार करना होगा और अपने प्रयत्नों में तेजी लानी होगी। अत: मैं एनएमडीएफसी की शेयर पूंजी में और 63 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

अनेक जिले अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले हैं। मैं इन जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं निम्नलिखित आबंटन करने का प्रस्ताव करता हूं:

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	–	72 करोड़ रुपए
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां;	–	90 करोड़ रुपए
स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर योग्यता-सह-सुविधा छात्रवृत्तियां	–	48.60 करोड़ रुपए

महिलाएं

बजटीय आबंटनों में महिलाओं के हितों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। 50 मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट निर्धारण कक्षों की स्थापना की है। वर्ष 2007-08 के लिए 27 मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 33 अनुदान मांगों को बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत एक विवरण में शामिल किया गया है। शत-प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 8,795 करोड़ रुपए है और

[श्री पी. चिदम्बरम]

कम से कम 30 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों की स्कीमों के लिए 22,382 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। पिछले वर्ष के विवरण में जो त्रुटियां बताई गई थीं उन्हें दूर करने का हमने ईमानदारी से प्रत्यत्न किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आबंटनों से लिया गया कुल बजट आबंटन 2007-08 में बढ़ा दिया गया है जो 2006-07 में 12,041 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 14,365 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को दिए गए 14,380 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति को उचित प्रोत्साहनों के साथ 31 मार्च, 2007 से पहले तैयार कर लिया जाएगा।

सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की अनुपूर्ति

अभी तक मैंने उन आबंटनों का जिक्र किया है जिनके अंतर्गत योजना "क" शामिल है और जिसका संसाधन बास्केट 205,100 करोड़ रुपए का है। योजना आयोग के परामर्श से मैंने योजना "ख" भी तैयार की है। चूंकि ग्यारहवीं योजना 1 अप्रैल, 2007 से शुरू होगी अत: हम इस बात को समझते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पहल करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने और व्यय शुरु होने पर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। अत: मैं वर्ष के दौरान बेहतर कर प्रशासन के जरिए 7,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। इस वर्ष हमने ऐसा किया है और मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भी हम ऐसा कर सकते हैं। योजना आयोग ने मुझे सलाह दी है कि यह अतिरिक्त निधियां इस सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, शहरी आधार संरचना और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में बांट दी जाएंगी।

मेरे पास योजना "ग" भी है। योजना "ग" के अंतर्गत, मैं बजट से बाहर उपलब्ध संसाधनों को काम में लाने और निवेश के प्रोयजन के लिए, विशेषकर आधारभूत संरचना क्षेत्र में, इन्हें बढ़ाने को प्रस्ताव करता हूं। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा।

IV. कृषि

अब मैं हमारी मुख्य चुनौती कृषि पर चर्चा करूंगा। मुझे जवाहरलाल नेहरु के वे शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था "प्रत्येक अन्य इंतजार कर सकता है परन्तु कृषि नहीं"।

राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कृषक नीति का मसौदा विचाराधीन है। इसी बीच कृषि की आर्थिक क्षमता सुधारने और उनकी न्यूनतम निवल आय सुनिश्चित करने के लिए मेरे पास अनेक प्रस्ताव हैं।

कृषि-ऋण

कृषि-ऋण संतोषजनक गति से बढ़ता जा रहा है। कृषि-ऋण तीन वर्ष में दुगुना करने का लक्ष्य दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित 175,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आराम से पार हो जाएगा और इसके 190,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। इस वर्ष दिसम्बर, 2006 तक, 53.37 लाख नए किसानों को सांस्थानिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए, मैं कृषि ऋण के रूप में 225,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने और 50 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम 2007-08 में जारी रहेगी और मैं इस प्रयोजन के लिए 1,677 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं।

देश के चार राज्यों के 31 विशेष रूप से संकटग्रस्त जिलों में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कुल 16,979 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है। इसमें से लगभग 12,400 करोड़ रुपए जल संबंधी कार्यक्रमों के लिए हैं। किसानों को अनुपूरक आय प्रदान करने के लिए, विशेष योजना में अधिक दूध देने वाले पशुओं के संवर्धन और संबंधित क्रियाकलापों की एक स्कीम शामिल है। मैं इस योजना के लिए 153 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि-ऋणग्रस्तता

सरकार ने ऋणग्रस्तता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए. डा. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने संपूर्ण देश में व्यापक रूप से परामर्श किए हैं और वह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

दाल-मिशन

सरकार दालों का उत्पादन और उत्पादकता न बढ़ने के प्रति चिंतित है। एक बड़ी कमी प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और गुणवत्ता की है। अत: मैं एकीकृत तिलहनों, पाम आयल, दाल और मक्का विकास कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव करता हूं। प्रजनक, मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया

जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर केन्द्रों, कृभको, इफको और नाफेड तथा बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार आईआईपीआर, कानपुर के विस्तार का निधिपोषण करेगी और तीन वर्ष की अवधि में प्रमाणित बीजों का उत्पादन दुगुना करने के लिए अन्य उत्पादकों को पूंजी अनुदान या रियायती वित्तपोषण प्रदान करेगी।

बागान क्षेत्र

चाय पौध पुन: लगाने और उसे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजनीय चाय निधि शुरु की गई है। सरकार काफी, रबर, मसालों, काजू और नारियल के लिए इसी प्रकार की वित्तीय कार्यप्रणाली शीघ्र स्थापित करेगी।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

शीघ्रतम संभावित समय में अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का पुनर्सुदृढ़ीकरण किया गया है। वर्ष 2006-07 में 35 परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है और 900,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। वर्ष 2006-07 में 7,121 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 2007-08 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। इसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदान का हिस्सा 3,580 करोड़ रुपए होगा, जो 2,350 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ा दिया गया है।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

जल संभरण विकास और भूमि उपयोग के अन्य पहलुओं से संबंधित सभी स्कीमों के समन्वय हेतु कुछ महीने पहले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। मैं नए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

जल संसाधन प्रबंधन: जल निकायों की बहाली

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 2005 में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली के लिए 13 राज्यों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि विश्व बैंक ने 400,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 5,763 जल निकायों की बहाली हेतु तमिलनाडु के साथ 2,182 करोड़ रुपए के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि अपनी तरह का पहला करार है। आंध्र प्रदेश के लिए एक करार का निष्पादन मार्च, 2007 में किए जाने की आशा है और इसके अंतर्गत 250,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के साथ 3,000 जल निकाय शामिल होंगे। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी ही परियोजनाएं तैयार करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर है और जून, 2007 से पहले कम से कम दो और करार पूरे करने की आशा है। मैं अन्य राज्य सरकारों से प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह करता हूं ताकि अगले दो वर्षों में संपूर्ण देश को इसमें शामिल किया जा सके।

भूमि जल पुनर्भरण

भूमिगत जल स्रोत का रिक्त होते जाना गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश में ''अति उपयोग'' या ''संकटपूर्ण'' के रूप में 1,065 आकलन ब्लाकों की पहचान की है। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ब्लाक सात राज्यों के 100 जिलों में हैं। भूमि जल पुनर्भरण की कार्य योजना वर्षा जल को ''डग वैल'' में परिवर्तित करने की है। प्रत्येक ढांचे की लागत लगभग 4,000 रुपए होगी। छोटे और मझोले किसानों की भूमि पर बने लगभग 20 लाख कुओं सहित यह आवश्यकता 70 लाख कुओं की है। मैं छोटे और मझोले किसानों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव करता हूं। जल संसाधन मंत्रालय शीघ्र ही स्कीम को अंतिम रूप देगा। इस आशा में, नाबार्ड को 1,800 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित करने का मेरा इरादा है। इस धनराशि को निलंब में रखा जाएगा और लाभार्थियों को संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

किसानों को प्रशिक्षण

थोड़े से शिक्षण और प्रशिक्षण से हमारे किसान अच्छी जल प्रबंधन पद्धतियों को आसानी से सीख लेंगे। अत: मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रत्येक 32 चुने गए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों में एक शिक्षण-सह-प्रदर्शन जल उपयोग माडल स्थापित करे। प्रत्येक संस्थान प्रतिवर्ष 100 प्रशिक्षकों और 1,000 किसानों को क्रमश: दो सप्ताह और एक सप्ताह के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देगा। आवर्ती लागतों के अनुमानों के आधार पर, मेरा एक कार्पस निधि के सृजन के लिए प्रत्येक संस्था को 3 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का इरादा है। इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा। कुल लागत 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

विस्तार प्रणाली

1960 के दशक की हरित क्रांति हमारे हजारों कृषि विस्तार कर्मचारियों द्वारा लाई गई थी जिन्होंने प्रशिक्षण एवं दौरा (टी एंड वी) नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसानों के साथ कार्य किया। खेद है कि यह विस्तार प्रणाली निष्प्राण हो चुकी प्रतीत होती है। विस्तार कार्य को जीवित करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार करेगा जो उचित परिवर्तनों के साथ प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रम की अनुकृति तैयार करेगा।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए), जो अब 262 जिलों में चल रही है, का विस्तार 2007-08 में अन्य 300 जिलों में किया जाएगा। मैं एटीएमए के लिए प्रावधान 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 230 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

उर्वरक (सब्सिडी)

मैंने 2006-07 में उर्वरक (सब्सिडियों) के लिए 17,253 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की थी। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर 22,453 करोड़ रुपए हो जाएगी और अधिक धन की मांग है। जहां उर्वरकों को वास्तव में (सब्सिडी) दी जानी चाहिए वहां हमें सीधे ही किसानों को (सब्सिडी) देने की वैकल्पिक पद्धति का पता लगाना चाहिए। उर्वक उद्योग इस संबंध में उर्वरक विभाग के साथ अध्ययन करने और समाधान ढूंढने के लिए सहमत हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर, सरकार का इरादा 2007-08 में प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में पायलट कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है।

कृषि बीमा

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) अपने वर्तमान रूप में वर्ष 2007-08 की खरीफ और रबी के लिए जारी रहेगी। मैं इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि बीमा निगम (एआईसी) खरीफ, 2004 से एक पायलट मौसम बीमा योजना चलाता आ रहा है और यह जोखिम कम करने की एक अधिक आशाजनक योजना प्रतीत होती है। अत: सरकार एनएआईएस के विकल्प के रूप में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से दो या तीन राज्यों में पायलट आधार पर मौसम आधारित एक बीमा योजना शुरू करने के लिए एआईसी से कहेगी। इस योजना को सब्सिडी के साथ बीमांकिक आधार पर संचालित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मेरा इरादा 2007-08 में 100 करोड़ रुपए आबंटित करने का है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। कृषि ऋणों की मात्रा बढ़ने और ग्रामीण ऋण सहकारिता सुधार संबंधी वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन से पुनर्वित्त की मांग बढ़ेगी। इसके संसाधन बढ़ाने के लिए मैं 5,000 करोड़ रुपए तक के ग्रामीण बांड जारी करने की नाबार्ड को स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखता हूं। इन बांडों पर सरकारी गारंटी दी जाएगी और यह उचित कर छूट के योग्य होंगे।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) राज्य सरकारों को निधियों की स्वीकृति और वितरण करती है। वर्ष 2006-07 में नाबार्ड ने 10,000 करोड़ रुपए के कार्पस में से अभी तक 8,440 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इन निधियों के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के कार्पस को बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वह इन निधियों का, मुख्यत: राज्य के संकटग्रस्त जिलों में उपयोग करें।

आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि से एक अलग विंडो खोली गई थी। इसमें से 2006-07 के लिए 2,311 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए के कार्पस के साथ अलग विंडो जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं।

सामाजिक सुरक्षा

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई एक वचनबद्धता यह थी कि सरकार असंगठित कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। निर्णय लिए जाने तक असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चिंता को प्रदर्शित करते हुए मैं एक शुरूआत करने का प्रस्ताव रखता हूं। ''आम आदमी बीमा योजना'' (एएबीवाई) नामक एक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर के विस्तार का मैं प्रस्ताव करता हूं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट संख्या 491 के अनुसार ऐसे परिवारों की अनुमानित संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। मार्च, 2007 के अंत तक 70 लाख परिवार कुछ राज्य सरकारों और एलआईसी की सामाजिक

सुरक्षा निधि की सहायता से एलआईसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। एएबीवाई के अंतर्गत मैं ऐसे ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और मैं कहना चाहता हूं कि यह संख्या उससे अधिक भी हो सकती है जिसका उल्लेख एनएसएस की रिपोर्ट में किया गया है। परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाऊ सदस्य का बीमा किया जाएगा। केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 200 रुपए की किस्त का 50 प्रतिशत वहन करेगी और मैं, राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वह लाभार्थियों को ओर से शेष 50 प्रतिशत वहन करने के लिए आगे आएं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए, मैं एक निधि में 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी देखभाल एलआईसी द्वारा की जाएगी। मैं राज्य सरकारों के परामर्श से इस स्कीम को अंतिम रूप से तैयार करने और 2007-08 में इसका कार्यान्वयन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी 15-20 मिनट, कृषि के मुद्दे पर चर्चा की है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है, निधियों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा इरादा है उसे पूरा किया जाए। संत तिरुवल्लूवर हमें देख रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं:-

"उडविनर कई मडंगिन इल्लइ विड्इवधूम विट्टमे इम्बरकुम निलइ

(यदि किसान हाथ पर हाथ धर कर बैठे हों तो संसार का त्याग करने वाले संतों को भी मोक्ष नहीं मिल सकता)" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको अपनी टिप्पणी देने का पूरा अवसर मिलेगा, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय,

V. निवेश

सभी संकेतक अर्थव्यवस्था में निवेश दर में तेजी को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिये, सकल घरेलू पूंजी गठन (जीडीसीएफ) में 2005-06 में, पिछले वर्ष से 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बढ़कर 11,47,254 करोड़ रुपये हो गया। मेरा विश्वास है कि प्रवृत्ति 2006-07 में जारी है। अप्रैल-जनवरी, 2006-07 में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 12.5 बिलियन अमरीकी डालर था जिसने पोर्टफोलियो निवेश को भी पीछे छोड़ दिया जो 6.8 बिलियन अमरीकी डालर था।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से, 2007-08 में 165,053 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। सरकार सीपीएसई को 16,361 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता और 2,970 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान करेगी।

इसके अलावा, मौजूदा वर्ष में, हमने आठ सीपीएसई को 1,590 करोड़ रुपये नकद प्रदान कर और 1,612 करोड़ रुपये की नकद-भिन्न सुविधायें देकर उनका पुनर्गठन किया है।

VI. आधारभूत संरचना

विद्युत

विद्युत उत्पादन ने इस वर्ष अप्रैल-दिसम्बर की अवधि में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है। फिर भी, दसवीं योजना की समाप्ति पर, हम पांच वर्ष की अवधि में केवल 23,163 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर पायेंगे जिसमें संप्रग सरकार के कार्यकाल के तीन वर्षों में प्राप्त की गयी 16,339 मेगावाट की क्षमता भी शामिल है। अत: यह अनिवार्य है कि हम नये उपाय करें।

विद्युत मंत्रालय ने सासन और मुन्द्रा में दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का निष्पादन किया है। सात और ऐसी परियोजनाओं पर कार्रवाई चल रही है और हमें भरोसा है कि कम से कम दो का निष्पादन जुलाई, 2007 तक शुरू हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहलों में शामिल हैं-प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा मर्चेन्ट पावर प्लांट्स की स्थापना की सहायता और पारेषण परियोजनाओं में निजी भागीदारी।

इसके अलावा, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (एपीडीआरपी) ने 213 नगरों में संपूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) नुकसानों को काफी कम किया है। 50,000 से अधिक की आबादी वाले सभी जिला मुख्यालयों और नगरों को शामिल करने के लिये एपीडीआरपी का पुनर्गठन किया जा रहा है। मैं एपीडीआरपी के लिये बजटीय सहायता, 2006-07 में 650 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन की गति और वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका आबंटन

[श्री पी. चिदम्बरम]

2006-07 में 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 3,983 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

कोयला

पिछले वर्ष की घोषणा के बाद, 8,581 मिलियन टन के आरक्षित भंडारों के 26 कोयला ब्लाकों और 755 मिलियन टन आरक्षित भंडारों वाले चार लिग्नाइट ब्लाकों को दिसम्बर, 2006 तक सरकारी कंपनियों और अनुमोदित अंतिम प्रयोक्ताओं को आवंटित किया गया है। विनिर्दिष्ट अन्तिम उपयोग की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें भूमिगत कोयले से गैस बनने और कोयला द्रवीकरण को शामिल किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य लगभग समाप्ति पर है और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग परियोजना में काफी अधिक प्रगति हुई है। इसके 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है। एनएचडीपी-III, एनएचडीपी-V और एनएचडीपी-VI की आयोजना अथवा कार्यान्वयन की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है। अब तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने व्यवहार्यता अन्तर निधिपोषण के रूप में 2,072 करोड़ रुपए दिए हैं परन्तु इसे ऋणात्मक अनुदान के रूप में 1,900 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अधीन बढ़ाया गया निजी क्षेत्र का निवेश 25,366 करोड़ रुपए है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के अधीन, 2006-07 में 450 किलोमीटर के निर्माण का काम दिया जा चुका है और शेष कार्य 2007-08 में दिया जाएगा। मैं आगामी वर्ष में राजमार्ग विकास प्राधिकरण के लिए प्रावधान 2006-07 में 9,945 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,667 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुंगेर, बिहार में गंगा पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसी तरह मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि बोगीबील, असम में ब्रह्मपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण-कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा।

सरकारी निजी भागीदारी और व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण

सरकारी निजी भागीदारी माडल से आधारभूत ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी लाई जा सकी है। अब तक व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण योजना के अधीन 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 प्रस्तावों को 'सिद्धान्ततः' मंजूरी दी जा चुकी है जिसकी कुल परियोजना लागत, 9,842 करोड़ रुपए है और इसमें 2,521 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण है। गति धीमी है और बैंकग्राह्य परियोजनाओं का सूचीपत्र तैयार करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए पेश किया जा सके। क्षमता निर्माण और परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए पहले उठाए गए कदमों के अतिरिक्त परियोजना तैयार करने में शीघ्रता लाने के लिए मेरा 100 करोड़ रुपए की मूल निधि (कार्पस) से एक परिक्रामी निधि की स्थापना करने का इरादा है। इस निधि से ब्याज रहित ऋण के रूप में, जिसे अंततः सफल निविदाकार से वसूल किया जाएगा, आरम्भिक व्यय के 75 प्रतिशत तक अंशदान किया जाएगा। निधि को प्रचालित करने संबंधी दिशा निर्देशों की घोषणा यथासमय की जाएगी।

VII. उद्योग

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

ऊर्जा सुरक्षा, सरकार की कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता पर है। नई खोज लाइसेंसिंग नीति के छह दौरों में अब तक 162 उत्पादन भागीदारी संविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं। भारतीय और विदेशी कंपनियों ने पहले ही खोज कार्य के लिए 97,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी प्रकार नीलामी बोली के तीन दौरों के बाद खोज के लिए 23 कोयला बेड मिथेन ब्लाकों की संविदा दी जा चुकी है।

वस्त्र

पुनः सुदृढ़ीकृत वस्त्र उद्योग वैश्विक चुनौती का सामना करने को तत्पर है। एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्कों की योजना के अधीन स्वीकृत 30 पार्कों में से अब तक 26 पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। मैं इन पार्कों के लिए 2006-07 में किये गए 189 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 425 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) योजना ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रखी जाएगी। 2006-07 में 535 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 2007-08 में 911 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। पहले की तरह, हथकरघा क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 2005-06 में एक समूहन (क्लस्टर) नीति आरम्भ की गई थी और 120 समूहों का चयन किया गया है। वर्तमान वर्ष में 273 नए धागा डिपो खोले गए हैं

और हथकरघा मार्क आरम्भ किया गया। सरकार का 2007-08 में 100-150 अतिरिक्त समूहों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। अब कार्यान्वित की जा रही 12 स्कीमों को ग्यारहवीं योजना अवधि में पांच स्कीमों में समूहीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 300,000 बुनकरों को लाया गया है और इसके अंतर्गत और अधिक बुनकरों को लाया जाएगा। इस योजना में अनुषंगी कामगारों को शामिल करने के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा। मैं इस सेक्टर के लिए 2006-07 में आवंटित 241 करोड़ रुपए की धनराशि बढ़ाकर अगले वर्ष 321 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

लघु और मझोले उद्यम

लघु और मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए अगस्त 2005 में घोषित ऋण नीति के बाद, इस क्षेत्र के लिए बकाया ऋण दिसम्बर 2005 के अंत में 135,200 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसम्बर 2006 के अंत में 173,460 करोड़ रुपए हो गया। बैंकों को इन उद्यमों के लिए अधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, मेरा बैंकों से ब्याज दर का निर्धारण करते समय किसी लघु और मझोले उद्यम द्वारा हासिल क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में रखने के लिए कहने का प्रस्ताव है।

नारियल जटा उद्योग

नारियल जटा एक पारिस्थितिकी अनुकूल फाइबर है। नारियल जटा उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। मुझे नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक स्कीम की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है जिसमें नारियल जटा उत्पादक राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा पर विशेष जोर दिया जाएगा। मैं 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): यह धनराशि बहुत कम धनराशि है। यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

श्री पी. चिदम्बरम:

VIII. सेवा क्षेत्र

विदेश व्यापार

हमारे पण्य निर्यातों ने 2005-06 में 100 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर को पार किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसके 125 बिलियन अमरीकी डालर की ऊंचाई को छूने की आशा है। विदेश व्यापार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के दुगने से अधिक की दर से बढ़ रहा है। सरकार निर्यात-अनुकूल नीतियों का अनुसरण करना जारी रखेगी।

पर्यटन

मेरा प्रस्ताव पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधान 2006-07 में 423 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 520 करोड़ रुपए करने का है।

IX. वित्तीय क्षेत्र

बैंकिंग

संसद के समक्ष महत्वपूर्ण वैधानिक उपायों के अलावा सरकार का बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में अनेक पहलें करने का प्रस्ताव है।

सरकार, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी धारिता प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है। मैंने इस प्रयोजनार्थ 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है परन्तु इस लेनदेन से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) स्कीम, लाभप्रद व्यवसायों में लगे समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की दर पर वित्त उपलब्ध कराती है। मेरा प्रति लाभार्थी ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने और आवासीय ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण के वितरण में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं और प्रायोजक बैंकों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये बैंक और अधिक जिम्मेदारियां लेने के इच्छुक हैं। डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं। अत: मेरा प्रस्ताव है कि:

* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक आक्रामक शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू करने और 2007-08 में देश के कवर न किए गए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलने के लिए कहा जाए;

* वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा ब्याज प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर किया जाए;

[श्री पी. चिदम्बरम]

* उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, को एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः पूंजी प्रदान की जाए।

आवास ऋण

राष्ट्रीय आवास बैंक शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नूतन योजना 'प्रतिवर्ती बंधक' आरंभ करेगा जिसके अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक जो किसी मकान का स्वामी है, अपने मकान को बंधक रखने के एवज में निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकता है, जबकि वह ऋण की अदायगी या शोधन किए बिना अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में मकान का स्वामी बना रहेगा और उस पर काबिज रहेगा।

हमारे लोग आवास ऋण चाहते हैं। बैंक और आवास वित्त कंपनियां जो बंधक रखने के बदले ऋण देती हैं, के लिए अधिक सुविधाजनक होगा यदि बंधकनामे को उधारकर्त्ता, ऋणदाता और गारंटीदाता के बीच एक त्रिपक्षीय संविदा के जरिए गारंटी प्रदान की जाए। बंधक गारंटी कंपनियों के गठन को अनुमति देने वाले विनियम लाए जाएंगे।

बीमा

राष्ट्रपति जी ने कोलकाता में नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अनन्य स्वास्थ्य बीमा योजना का 6 दिसम्बर 2006 को उद्घाटन किया। मैंने अन्य तीन सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार की योजनाओं की पेशकश करने को कहा है और उन्होंने 2007-08 में ऐसा करने पर सहमति प्रकट की है।

लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक तथा बीमा कानूनों में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन समाज के कमजोर तबको की वहनीय लागत और समय पर पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है। जहां हम अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं, वहीं सरकार ने तत्काल इसकी दो सिफारिशें कार्यान्वित करने का फैसला किया है। पहली सिफारिश विकासात्मक और संवर्धनात्मक उपायों की लागत वहन करने हेतु नाबार्ड में एक वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना करना है। दूसरा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागतों को पूरा करने के लिए एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना करना है। प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रुपए का एक समग्र कार्पस होगा और इसका आरम्भिक निधिपोषण केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

पूंजी बाजार

पूंजी बाजार वित्तीय संसाधनों में मध्यस्थता करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारतीय पूंजी बाजार की सुदृढ़ता को मान्यता देते हुए इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशंस आफ सिक्योरिटीज कमीशन्स ने अपना वार्षिक सम्मेलन अप्रैल, 2007 में मुम्बई में आयोजित करने का निर्णय लिया है। बाजार को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवर्ष घोषित उपायों की श्रृंखला में, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

* प्रतिभूति बाजार के सभी भागीदारों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाया जाए जिसमें किसी विशेष प्रकार के खाता में अन्तर करने के लिए एक अल्फा-न्यूमेरिक उपसर्ग या प्रत्यय हो;

* विभिन्न बाजार भागीदारों के लिए सेबी द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के अधीन स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की विचारणा को आगे बढ़ाना और यदि आवश्यक हो तो एक समर्थकारी कानून द्वारा समर्थित किया जाएगा।

* म्युचुअल फंडों को विनियुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर निधियां शुरू करने और प्रचालित करने की अनुमति देकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र को निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना;

* व्यक्तियों को भारतीय म्युचुअल फंडों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति देकर व्यक्तियों और भारतीय म्युचुअल फंडों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने वाले विभिन्न विनियमों को एकस्थ करना;

* संस्थाओं द्वारा डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिलीवरी द्वारा परिनिर्धारित अल्पकालिक बिक्री और प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देना;

* भारतीय कंपनियों को उनकी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमेय बांडों के निर्गम द्वारा ग्रुप कंपनियों में उनकी धारिताओं के हिस्से को बेचने की अनुमति देने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था कायम करना।

आधारभूत संरचना के लिए अभिनव वित्तपोषण

राज्य सरकारों के निवेदन पर राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों की उधार लेने की न्यूनतम बाध्यता को

कम करके निवल संग्रहण के 80 प्रतिशत पर लाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पिछले एनएसएसएफ ऋणों की वापसी अदायगी भी 2005-06 से शुरू हो चुकी है जिससे दीर्घकालिक उधारों के लिये संसाधन उपलब्ध होंगे। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये निधियां भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा एनएसएसएफ से भी उधार ली जा सकती हैं।

एक सार्थक पहल, सिटीग्रुप, ब्लैकस्टोन, आईडीएफसी और आईआईएफसीएल द्वारा 5 बिलियन अमरीकी डालर के आधारभूत ढांचा वित्तपोषण अभिक्रम की शुरूआत है।

आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से एक सिफारिश मौद्रिक विस्तार का जोखिम उठाए बिना विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का एक छोटा भाग इस्तेमाल करने के बारे में है। समिति ने आईआईएफसीएल की दो पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी कम्पनियों की स्थापना की सिफारिश की है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(1) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना और भारत में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही भारतीय कम्पनियों को उधार देना; अथवा ऐसी परियोजनाओं के लिए उनकी विदेशी वाणिज्यिक उधारों को पूर्णत: से भारत के बाहर पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषित करना; और

(2) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना, ऐसी निधियों को उच्च दर वाली संपश्र्विक प्रतिभूतियों में निवेशित करना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधनों को जुटाने हेतु भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को "ऋण कवच" बीमा उपलब्ध कराना।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो अनुषंगी कम्पनियों को दिए जाने वाले ऋणों को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक अपने वृद्धिशील निवेश पर प्रतिफल की औसत दर की अपेक्षा अधिक प्रतिफल के प्रति आश्वस्त होगा। सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर सिफारिश के विधिक और विनियामक पक्षों की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि आधारभूत संरचना के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने की अभिनव पद्धति का पता लगाया जा सके।

X. अन्य प्रस्ताव

रक्षा व्यय

मैं रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें 41,922 करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय के लिए होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुरक्षा के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

सरकार ने ई-गवर्नेंस हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में दक्षता, सुविधा, पहुंच तथा पारदर्शिता में सुधार करना है और सरकार की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मैं ई-गवर्नेंस हेतु आवंटन को 2006-07 में 395 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 719 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। केन्द्र सरकार ई-गवर्नेंस कार्य योजना को राज्य स्तरों पर सहायता देती है और मैं ऐसी सहायता हेतु आवंटन में वर्ष 2006-07 में 300 करोड़ रुपए से बढ़ोत्तरी कर 2007-08 में 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं साफ्टवेयर निर्यात उद्योग हेतु मानव शक्ति विकास की एक नई योजना के लिए 33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ने वर्ष 2006-07 में 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। मैं वर्ष 2007-08 में इस आवंटन को बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। यह दो संघटकों का वित्त पोषण करेगा, पहला 250 जिलों से सम्बन्धित होगा और दूसरे का बिहार के विशेष आयोजना से सम्बन्ध होगा। उड़ीसा के केबीके जिले जिन्हें इन 250 जिलों में शामिल किया गया है, सहायता की वही राशि प्राप्त करते रहेंगे जो विगत में प्राप्त करते रहे हैं।

वित्तीय केन्द्र के रूप में मुम्बई

मुम्बई को एक क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मेरा इरादा इस रिपोर्ट को लोगों की सामान्य जानकारी में लाना और उनकी प्रतिक्रिया (फीड बैक) प्राप्त करना है। मुझे आशा है कि हम समिति की मुख्य सिफारिशों पर सर्वसम्मति बनाने और मुम्बई में विश्व श्रेणी के वित्तीय केन्द्र को प्रोत्साहन देने तथा 'वित्तीय सेवाओं' को भारत का अगला विकास इंजन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

व्यावसायिक शिक्षा मिशन

आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे पास कुशल तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति का भण्डार हो। कई क्षेत्रों में पहले ही इसका अभाव हो

[श्री पी. चिदम्बरम]

गया है। इसके अलावा, हम कामकाजी आयु की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी द्वारा जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हमारे युवकों और युवतियों में अपेक्षित दक्षता हो। प्रधानमंत्री ने 2006 के अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में व्यावसायिक शिक्षा मिशन की बात की थी। योजना आयोग में एक कार्यदल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य योजना को तैयार कर रहा है। वैकल्पिक माडल को अपनाया जा सकता है परन्तु यह दृष्टिकोण सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित होगा। मैं इस मिशन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं।

आईटीआई का उन्नयन

माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने वर्ष 2005 से पांच वर्षों में 500 आईटीआई के उन्नयन का कार्यक्रम चलाया था। उन्नयन किए गए पहले चरण के 100 आईटीआई में अगस्त, 2005 से उन्नयन किए गए दूसरे चरण के 100 आईटीआई में अगस्त, 2006 से संशोधित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। मुझे आशा है कि अन्य 300 आईटीआई को अगस्त, 2009 तक कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद भी 1,396 सरकारी आईटीआई बचे रहेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा कौशल में उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में 1,396 आईटीआई का उन्नयन किया जाए। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत, आईटीआई के स्वामित्व के रूप में राज्य सरकार, प्रवेश तथा शुल्कों को विनियमित करती रहेगी; नए प्रबन्धन को शैक्षणिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और केन्द्र सरकार प्रारम्भिक धन के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आईटीआई को दूसरी शिफ्ट प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। एक बार तीनों हिस्सेदारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने पर मैं प्रत्येक आईटीआई के उन्नयन तथा पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 2007-08 से शुरू करके प्रत्येक वर्ष सरकारी निजी भागीदारी के तहत कम से कम 300 आईटीआई के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैंने इस उद्देश्य हेतु 750 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है।

विकलांगों के लिए रोजगार

समाज के लाभवंचित वर्गों में विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। वे नियमित रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। संगठित क्षेत्र में नियोक्ताओं द्वारा नियमित रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु इसमें प्रमुख बात नियमित रोजगार है, मैं एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत एक बार विकलांग व्यक्ति को नियमित करने पर और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अन्तर्गत नामांकित करने पर सरकार नियोक्ता को पुरस्कृत करेगी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता को पुरस्कृत करेगी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ तथा ईएसआई में किए गए अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। सरकार विकलांग व्यक्तियों हेतु 25,000 रुपए माह की वेतन सीमा वाले 100,000 रोजगारों के सृजन को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। मेरा अनुमान है कि जब यह योजना पूर्णतः अस्तित्व में आ जाएगी तो सरकार पर प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा जो बढ़कर प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस योजना को पूर्णतया वित्त पोषित करने के लिए मैंने 1800 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

ऋण प्रबन्धन कार्यालय

सम्पूर्ण विश्व में ऋण प्रबन्धन मौद्रिक प्रबन्धन से भिन्न है। सरकार के अधीन ऋण प्रबन्धन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना की काफी समय से वकालत की जाती रही है। अब तक प्राप्त राजकोषीय समेकन ने हमें पहला कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित किया है। तद्नुसार मैं एक स्वशासी 'ऋण प्रबन्धन कार्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और पहले चरण में एक मध्यवर्ती कार्यालय की स्थापना की जाएगी जो पूर्णतः डीएमओ के साथ लेन-देन को सुविधाजनक बनाएगा।

विकास सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते रुतबे के अनुरूप हमें स्वेच्छा से अन्य विकासशील देशों के विकास के संवर्धन में अधिक उत्तरदायित्व लेना होगा। वर्तमान में, भारत कई मंत्रालयों और एजेंसियों के माध्यम से विकास सहयोग देता है और इसकी कुल राशि लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष है। यह अनुभव किया गया है कि विकास सहयोग संबंधी सभी गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाया जाए। तद्नुसार सरकार, भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (ईडका) की स्थापना का प्रस्ताव करती है। विदेश, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय और अन्य भागीदारों को ईडका में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन

भारत का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में न तो कोई महत्वपूर्ण योगदान है और न ही निकट भविष्य में वह ऐसा करेगा। तो भी, "साझा परन्तु विशिष्ट उत्तरदायित्व" के सिद्धांत के अनुरूप

भारत ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन प्रभाव के अनुकूल बनने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र का भी सुदृढ़ उन्नयन किया है और इसके पास विश्व की सबसे अधिक स्वच्छ विकास की परियोजनाएं हैं। फिर भी, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील देशों में से है। अत: सरकार, भारत पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों की पहचान हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

राष्ट्रमंडल खेल

भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दिल्ली में कराने का दावा रखा और इसमें सफलता प्राप्त की। राष्ट्र ने बड़ा गौरव महसूस किया जब श्री राजीव गांधी के मार्गदर्शन में हमने 1982 में सफलतापूर्वक एशियाई खेलों का आयोजन किया। हम इसका सारा श्रेय अपने देशवासियों को देते हैं कि वे इन राष्ट्रमंडल खेलों को भी उतनी ही यादगार घटना बनाएं। मैं 2007-08 में इन खेलों के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को 150 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार को 350 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह, मैं पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 के लिये 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

इतिहास और संस्कृति

चूंकि, हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 150वां वर्ष और सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में हमारा ध्यान उन संस्थाओं की ओर जाता है जो गांधी जी के कार्य और अन्य रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। मैं उन चार संस्थाओं, जिनके कार्यों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखने की इच्छा व्यक्त करता हूं। ये चार संस्थाएं साबरमती आश्रम, अहमदाबाद; सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे; और राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, पटना हैं। मेरा इरादा बौद्धिक कार्यकलाप के एक प्रमुख केंद्र होने के नाते नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, दिल्ली की संग्रह क्षमता के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का भी है।

संस्कृति मंत्रालय ने विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए भातीय और विदेशी संस्थाओं से शिक्षाविदों को रखने का प्रस्ताव किया है। उनकी नियुक्ति की शर्तें शिक्षाविदों को स्वतंत्रता और नम्यता उपलब्ध कराएंगी। मैं इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का आरंभिक अनुदान देने का इरादा रखता हूं।

उत्कृष्ट संस्थाएं

मैं विगत दो वर्षों की तरह उत्कृष्टता को महत्व देने के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबतूर का चयन किया है और प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी जो कि इस बजट में कृषि पर विशेष बल देने की योजना के अनुरूप है ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में क्या किया गया है?

श्री पी. चिदम्बरम: उस पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा।

XI. लोक वित्त

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की बदौलत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपना खोया हुआ राजकोषीय आधार पुन: प्राप्त कर लिया है। राज्यों के ऋण के 110,268 करोड़ रुपए समेकित किए जा चुके हैं। बीस राज्यों ने 8,575 करोड़ रुपए की ऋण माफी का लाभ उठाया है।

वर्ष 2006-07 में केंद्र, राज्यों को करों और शुल्कों में उनके हिस्से के रूप में 120,377 करोड़ रुपए देगा। वर्ष 2007-08 में यह राशि बढ़कर 142,450 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों के अंतर्गत कुल अनुदान और ऋण 2006-07 में 90,521 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 106,987 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मैं यह कह सकता हूं कि राज्यों को इतनी अधिक राशि पहले कभी नहीं मिली है।

वैट, सीएसटी और जीएसटी की रूपरेखा

मूल्य वर्धित कर (वैट) सम्पूर्ण सफल सिद्ध हुआ है। इसे क्रियान्वित करने वाले राज्यों का वैट राजस्व 2005-06 में 13.8 प्रतिशत और 2006-07 के पहले नौ महीनों में 24.3 प्रतिशत बढ़ा है। अगला तर्कसंगत उपाय केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ एक सहमति पर पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप, सीएसटी दर 1 अप्रैल, 2007 से 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत कर दी जाएगी। मैंने वैट और सीएसटी के कारण हानियां यदि कोई होती हैं, की प्रतिपूर्ति के लिए 5,495 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैं राज्य सरकारों और विशेष रूप से उनके वित्त मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित सहकारी संघवाद की भावना की तहेदिल से प्रशंसा करना चाहता हूं। मेरे अनुरोध पर, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय स्तर के सामान और सेवाकर (जीएसटी) शुरू करने हेतु एक रूपरेखा बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हो गई है।

जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के अनुसार आगे बढ़ रहा है। संशोधित अनुमान के आधार पर मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी है कि चालू वर्ष का राजस्व घाटा 2.0 प्रतिशत (2.1 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में) और राजकोषीय घाटा 3.7 प्रतिशत (3.8 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में) होगा। हमने एक बार फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

XII. वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान

अब मैं 2007-08 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं।

आयोजना व्यय

मेरा अनुमान है कि 2007-08 में 205,100 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय होगा। कुल व्यय के अनुपात के रूप में (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण को घटाकर) आयोजना व्यय 32.0 प्रतिशत होगा।

आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 2007-08 में आयोजना-भिन्न व्यय (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण को घटाकर) 435,421 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 2006-07 की तुलना में यह वृद्धि सिर्फ 6.5 प्रतिशत है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में कुल व्यय 680,521 करोड़ रुपए (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण हेतु 40,000 करोड़ रुपए सहित) अनुमानित है। केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 486,422 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 557,900 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके परिणामस्वरूप, 71,478 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 150,948 करोड़ रुपए अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हैं।

भाग 'ख'

XIII. कर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने वायदा किया था कि "कर दरें स्थिर और वृद्धि, अनुपालन एवं निवेश में सहायक" होंगी। ये शब्द राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हैं। सकल कर राजस्व में वृद्धि निभाए गए वचन का प्रमाण है। यद्यपि, हमने अधिक कर राजस्व जुटाया है, हमने बचत के रूप में और निवेश के लिए अपने लोगों के हाथों में अधिक धन भी छोड़ा है।

इस सरकार के पहले तीन सालों में सकल कर राजस्व 19.9 प्रतिशत 20.0 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत बढ़ा है। जीडीपी-कर अनुपात 2003-04 में 9.2% से बढ़कर 2006-07 में 11.4% हो गया। हमारा इरादा कर दरों को संतुलित और स्थिर रखना है और कर कानूनों का संचालन करदाता-अनुकूल तरीके से करना है।

अप्रत्यक्ष कर

मैं अप्रत्यक्ष करों से शुरू करता हूं। पहले, सीमा शुल्क।

सरकार ने जनवरी, 2007 में टैरिफ में अनेक कटौतियां घोषित की हैं। पूंजीगत माल, परियोजना आयात, धातुओं और विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायनों पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशतांक तक और कुछ मामलों में 5 प्रतिशतांक तक घटाए गए थे। कुछ खाद्य तेलों पर शुल्क 10 से 12.5 प्रतिशतांक कम किया गया था।

पूर्वी एशियाई तुलनीय दरों की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए, मैं कृषि-भिन्न उत्पादों के लिए शीर्ष दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं अधिकतर रसायनों और प्लास्टिक पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

उत्कृष्ट इस्पात पर शुल्क 5 प्रतिशत है। घटिया और खराब इस्पात आपूर्ति सुदृढ़ करते हैं। विभेदक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं घटिया और खराब इस्पात पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं राख तत्व को ध्यान में रखे बगैर सभी प्रकार के कोकिंग कोयले को पूर्णतया शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले साल, मैंने सभी मानव-निर्मित रेशों और धागों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया था। इस

उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए मैं पालिएस्टर रेशो और धागे पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। परिणामस्वरूप, डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसे कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया जाएगा।

रत्न और आभूषण अभिवृद्धि और रोजगार का अन्य चालक उद्योग है। मैं कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों पर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत; खुरदरे कृत्रिम नगों पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; और अनगढ़ मूंगों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं तलकर्षकों को पूर्णतया आयात शुल्क से मुक्त करता हूं।

सिंचाई सुविधाएं मजबूत करने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु मैं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों, कृषि फव्वारों और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

जबकि विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपस्करों पर 5 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगता है, अन्य उपस्करों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। मैं चिकित्सा उपस्करों पर आयात शुल्क की सामान्य दर कम करके 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

खाद्य तेलों को और सस्ता करने के लिए मैं कच्चे तेल और परिष्कृत खाद्य तेलों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीवी शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं। मैं सूरजमुखी के तेल, कच्चे और परिष्कृत दोनों पर शुल्क 15 प्रतिशतांक घटाने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरे पास कुत्ते और बिल्ली प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार है। मैं पालतू जीवों के भोजन पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करूणा शुक्ला (जांजगीर): इस बजट में आम आदमी कहीं खो गया है। यह उनकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की चिन्ता कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको कुत्ते-बिल्ली पसंद नहीं हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, घड़ियों के डायलों और स्पन्दन तथा छातों के पार्ट्स पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी निधिपोषित अनुसंधान संस्थाओं को उपलब्ध 5 प्रतिशत रियायती दर पर शुल्क वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान निदेशालय में पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थाओं को देने का प्रस्ताव करता हूं। भेषजीय और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये मैं 15 विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

सरकार और अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा, हेलीकाप्टरों सहित वायुयानों का आयात वर्तमान में सभी शुल्कों से मुक्त है और यह स्थिति जारी रहेगी। तथापि, अन्य निजी आयातकों को इस छूट की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, मैं हेलीकाप्टरों सहित वायुयानों के सभी निजी आयातों पर 3 प्रतिशत आयात शुल्क, जो डब्ल्यूटीओ निर्धारित दर है, लगाने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसे आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगेगा।

होंडा समिति ने खनिज नीति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसरण में और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा राजस्व जुटाने के लिए, मेरा लौह अयस्क और सान्द्रों के निर्यात पर 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन और क्रोम अयस्क तथा सान्द्रों के निर्यात पर 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन का निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

मैं अब अपने उत्पाद शुल्कों तथा सेवा कर सम्बन्धी प्रस्तावों की ओर आता हूं।

सामान्य सेनवेट दर अथवा सर्विस कर दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

सरकार ने 15 फरवरी, 2007 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 2 रुपए प्रति लीटर तथा 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। मैं सहमत हूं कि इस बोझ का एक भाग राजस्व पर पड़ेगा। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथामूल्य संघटक को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाए।

समाज के विभिन्न तबकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव न्यायसंगत मामलों में विशेष रूप से रोजगार सृजक क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क से राहत प्रदान करने का है।

* मैं लघु उद्योग के लिए छूट सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

[श्री पी. चिदम्बरम]

* खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उच्च विकास प्राप्त करने को कटिबद्ध है। पिछले वर्ष कई खाद्य मदों में रियायतें प्रदान की गयी थीं। मैं इस वर्ष ऐसे बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 50 रु. प्रति किग्रा. से ज्यादा न हो। साथ ही मैं सभी प्रकार के खाद्य मिश्रणों जिसमें तत्काल तैयार होने वाले मिश्रण भी शामिल हैं, को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। अब मुझ पर इडली और डोसा मिश्रण के प्रति पक्षपात करने का आरोप नहीं लगेगा।

* मैं छातों तथा जूतों की सहायक सामग्रियों में उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

* प्लाईवुड से काष्ठ बचत में मदद मिलती है। अतः मैं प्लाईवुड पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

* बायोडीजल हमारी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता काफी हद तक घटाएगा। इसलिए, मैं बायोडीजल को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्रत्येक घर तथा समुदायों में खाद्य पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, मैं जल के शुद्धिकरण की ऐसी युक्तियों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जो विनिर्दिष्ट झिल्ली आधारित प्रौद्योगिकियों तथा बिजली का उपयोग न करने वाले छोटे और बड़े घरेलू वाटर फिल्टर से संचालित हों।

जलापूर्ति संयंत्र से भण्डारण सुविधा में उपयोग में आने वाले जल पाइपों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। मैं यह छूट सीमा जल आपूर्ति प्रणालियों में उपयोग में आने वाले 200 मिलीमीटर से अधिक व्यास के सभी पाइपों को भी देने का प्रस्ताव करता हूं।

सीमेंट के खुदरा मूल्यों में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष, इस समय 50 किग्रा. सीमेंट का बैग 190 रुपए अथवा उससे कम के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जा रहा था जिसे मैं लाभकारी मूल्य मानता हूं। मै एक ओर कीमतों की सीमा में रहने वाले सीमेंट विनिर्माताओं को पुरस्कार देने और दूसरी ओर इस सीमा से बाहर जाने वाले विनिर्माताओं पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। तद्नुसार, मैं ऐसे सीमेंट पर 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन की उत्पाद शुल्क की मौजूदा दर को 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूं जो खुदरा में 190 रुपए प्रति बैग से अधिक की दर पर नहीं बेचा जा रहा है। जिस सीमेंट की एमआरपी अधिक है, उस पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया जाएगा।

मैं, "तम्बाकू सेवन न करें" अभियान का भी पुरजोर समर्थन करता हूं। इसलिए मैं सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों को लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकाश, बीड़ी पर उत्पाद शुल्क (उपकर को छोड़कर) जिसे छह वर्षों की अवधि के पश्चात् वर्ष 2001 में निर्धारित किया गया था, को मशीन से न बनी हुई बीड़ियों के सम्बन्ध में प्रति हजार 7 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए और मशीन निर्मित बीड़ियों के लिए प्रति हजार 17 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए किया जाएगा। वर्ष में 20 लाख तक की ब्रांड रहित बीड़ियों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क से छूट है। इस छूट के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए अब से यह छूट केन्द्रीय उत्पाद विभाग की घोषणा तथा नियमित मानीटरिंग की शर्त पूरा करने पर उपलब्ध होगी।

तम्बाकू युक्त पान मसालों पर 66 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क जारी रहेगा। तथापि, तम्बाकू रहित पान मासले जिसे मुखवास कहा जाता है के सम्बन्ध से यह शुल्क 66 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया जाएगा। मैं तम्बाकू युक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के सम्बन्ध में प्रदान की जा रही छूट जो पूर्वोत्तर राज्यों की यूनिटों को दी जाती है, को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

छूटों की व्यापक समीक्षा पर आधारित तथा उन्हें वेबसाइट पर डालने और उन पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के पश्चात्, मैं उन कतिपय उत्पाद शुल्क छूटों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं जो अनावश्यक हैं अथवा अपनी उपयोगिता खो चुके हैं।

मैं छोटे सेवा-प्रदायकों के लिए छूट की सीमा को 400,000 रुपए से बढ़ाकर 800,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। परिणामस्वरूप, कुल 400,000 निर्धारितियों में से 200,000 निर्धारिती सेवा कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इससे 800 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैं इन धनराशि को छोटे सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हित में छोड़ रहा हूं।

जहां एक ओर मुझे 200,000 निर्धारितियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, वहीं दूसरी ओर मैं कर दायरे में आने वाले नए निर्धारितियों का स्वागत करता हूं। मैं निम्नलिखित के सम्बन्ध में सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं-

* खनिज, तेल अथवा गैस के खनन हेतु बाहर से आयातित सेवाएं;

* वाणिज्य अथवा व्यवसाय के उपयोग में आने वाली अचल सम्पत्ति को किराए पर देना; तथापि, आवासीय सम्पत्तियों, कृषि तथा इसके सदृश उद्देश्यों हेतु उपयोग में आने वाली खाली पड़ी भूमि, खेलकूद, मनोरंजन तथा पार्किंग उद्देश्य हेतु काम में आने वाली भूमि और शैक्षणिक अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए अचल संपत्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;

* टेलीकाम तथा विज्ञापन उद्देश्यों हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास तथा आपूर्ति;

* वैयक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसम्पत्ति प्रबन्धन सेवाएं; और

* डिजाइन सेवाएं। .

राज्य सरकार निर्माण कार्यों की संविदा के निष्पादन में लगे सामान में सम्पत्ति के अन्तरण पर कर लगाती है। निर्माण कार्यों की संविदा में सेवाओं के मूल्य पर सेवा कर लगाना चाहिए, इसलिए, मैं निर्माण कार्यों की संविदा में लगे सेवाओं पर सेवा-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। परन्तु मैं एक वैकल्पिक संघटक योजना का भी प्रस्ताव करता हूं जिसके तहत सेवा-कर निर्माण कार्यों की संविदा के कुल मूल्य के केवल 2 प्रतिशत पर ही लगाया जाएगा।

मैं रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा अपने सदस्यों को, जो प्रदत्त सेवाओं के सम्बन्ध में प्रतिमाह 3000 रुपए अथवा उससे कम का योगदान करते हैं, उपलब्ध कराई गयी सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करने पर प्रस्ताव करता हूं।

अभिनव प्रोत्साहन हेतु, मैं प्रद्यौगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसी प्रकार, 50 लाख तक के वार्षिक कारोबार करने वाले इन्क्यूवेटी को पहले तीन वर्षों में सेवा कर से छूट प्राप्त होगी।

भारत को औषध परीक्षण के सम्बन्ध में एक वरीय गंतव्य स्थल बनाने हेतु, मैं नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण को सेवा कर से छूट प्रदान करता हूं।

कुछ सेवाओं का दायरा जिन पर वर्तमान में कर लगाया जाता है, उसे विस्तारित अथवा पुनर्परिभाषित किया जा रहा है, तथापि, मैं विस्तार में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

दूरसंचार उद्योग ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि उद्योग से सम्बन्धित अनेक करों, प्रभारों तथा शुल्क को एकीकृत किया जाए तथा एकल राजस्व शुल्क की वसूली की जाए। यह अनुरोध विचारणीय है। इसलिए, मैं दूरसंचार विभाग से उद्ग्रहणों की मौजूदा संरचना के अध्ययन हेतु समिति का गठन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के अनुरोध का प्रस्ताव करता हूं।

प्रत्यक्ष कर

मैं अब प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं।

चालू वर्ष में, व्यष्टियों द्वारा बेहतर कर अनुपालन की प्रवृत्ति देखी गयी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

वैयक्तिक आय कर (पीआईटी) की चालू स्लैब और दरें केवल दो वर्ष पहले प्रारम्भ की गयी थी। वे एक संतुलित कर प्रणाली का निर्माण करती हैं। प्रस्तावित आय कर कोड की एक व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिसे इसी वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, दरों में कोई परिवर्तन किए बिना, मैं करदाताओं को विशेष रूप से उनके द्वारा राजस्व विभाग को दिए गए अपने सहयोग को देखते हुए कुछ राहत प्रदान करने पर विचार कर रहा हूं। तद्नुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

* सभी निर्धारितियों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 10,000 रुपए बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार प्रत्येक निर्धारिती को 1,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी;

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): एक हजार रुपये का क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय,

* परिणामस्वरूप, महिला निर्धारिती के मामले में, प्रारम्भिक सीमा को 1,35,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए किया जाएगा, इस प्रकार उन्हें 1,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी।

* वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए किया जाएगा, इस प्रकार उन्हें 2,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी; और

* धारा 80घ के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती को अधिकतम 15,000 रुपए की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, और, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह अधिकतम सीमा 20,000 रुपए होगी।

[श्री पी. चिदम्बरम]

कम्पनी आय कर (सीआईटी) की दिशा में भी, अनुपालन अच्छा रहा है। परिणामस्वरूप, मैं सीआईटी में भी एक महत्वपूर्ण संशोधन के साथ वही दर रखने का प्रस्ताव करता हूं। लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें निवेश हो और वे प्रगति करें, मैं सभी 1 करोड़ रुपए या उससे कम की कर योग्य आय वाली फर्मों और कम्पनियों पर आय कर पर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे लगभग 1,200,000 फर्में और कम्पनियां लाभान्वित होंगी।

प्राथमिक सोसायटियों और प्राइमरी बैंकों (अर्थात् पीएसी और पीसीए आर डीबी) को छोड़कर लाभ कमाने वाले सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों के समान स्तर पर लाया गया है। तथापि, मेरे ध्यान में कुछ विसंगतियां भी आई हैं और सहकारी बैंकों के हित में मेरा उनमें सुधार लाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, धारा 36(1)(VIII) का लाभ सहकारी बैंकों को उपलब्ध होगा। उसी प्रकार, सरकारी बैंकों को भी धारा 36(1)(VIIक) के अन्तर्गत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती करने की अनुमति होगी। बैंकिंग कम्पनियों का समामेलन और विघटन (डिमर्जर) कर तटस्थ है और यह लाभ सहकारी बैंकों को भी प्रदान किया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 80झक उन आधारभूत सुविधाओं को सूचीबद्ध करती है जो कर रियायतों की हकदार हैं। इस लाभ के कुछ प्रत्यक्ष दावेदार हैं। पूरे देश में प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क, जिसमें गैस पाइप लाइन और इस नेटवर्क से एकीकृत भंडारण सुविधाएं शामिल हैं, इसका एक दावेदार है। दूसरा है, समुद्र में नौवहन तंत्र। मैं इन दोनों सुविधाओं को कर रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

शहरी अवसंरचना के सृजन को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से मैं शहरी स्थानीय निकायों के एक समूह के लिए निधियां जुटाने हेतु बनाई गई स्टेट पूल्ड फाइनांस एंटीटीज के माध्यम से कर-मुक्त बांडों को जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछले वर्ष मैंने रत्न और आभूषण उद्योग के संबंध में कर नीति पर सरकार को सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इसकी सिफारिशों, श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों और एक सरल कर ढांचे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं हीरों के विनिर्माण और व्यापार में लगे उन निर्धारितियों के लिए जो ऐसे क्रियाकलापों से कारोबार के 8 प्रतिशत या अधिक मुनाफे की घोषणा करते हैं। एक सरल कराधान प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संबंध में शीघ्र ही अनुदेश जारी किए जाएंगे।

हमें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 20,000 और अधिक होटल कमरों की आवश्यकता होगी। अतः मैं दो, तीन या चार सितारा होटलों के साथ-साथ उन सम्मेलन केंद्रों के लिए भी जिनमें बैठने की क्षमता 3,000 से कम न हो, आय कर से पांच वर्ष का करावकाश देने का प्रस्ताव करता हूं। उन्हें 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली अथवा फरीदाबाद, गुड़गांव, गजियाबाद या गौतमबुद्ध नगर से लगे जिलों में इन्हें बनाकर अपना कार्य प्रचालन आरम्भ कर देना चाहिए।

धारा 35 (2कख) में आंतरिक अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यय के लिए 150 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति है। मैं, 31 मार्च, 2012 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए यह रियायत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित उपक्रम करावकाश प्राप्त कर रहे हैं जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाला है। उस राज्य में और निवेश को बढ़ाने के महत्व पर विचार करते हुए, मैं इस लाभ को 31 मार्च, 2012 तक और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

इस वित्तीय वर्ष में आरम्भ की गई कम्पनियों की आय-विवरणियां इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सराहनीय सफलता जारी है। 31 जनवरी, 2007 तक, कम्पनियों द्वारा 301,736 आय विवरणियां इलैक्ट्रानिकी माध्यम से भरी गई हैं। हमारा विश्लेषण बताता है कि सभी कम्पनियों द्वारा कर की प्रभावी दर, जो केवल 19.2 प्रतिशत थी, का भुगतान किया गया है जिसके लिए अनेक कर रियायतों और छूटों को श्रेय जाता है— उनमें से अनेक नेक इरादे की थीं। वर्ष 1996-97 में हमने बही खाता लाभों वाली कम्पनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लागू किया था जिसका प्रयोजन कराधान में लगभग अनुप्रस्थ समानता लाना है। अतः, जहां तक संभव हो सके, सभी कम्पनियों की आय पर मैट (एमएटी) लागू होना चाहिए। इसलिए, मैं उन कम्पनियों की आय पर मैट (एमएटी) लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्होंने आय कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत कटौती का दावा किया है।

मैं आंशिक रूप से एक ऐसी कटौती को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो कतिपय कम्पनियों को उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(VIII) के अन्तर्गत निवल मूल्य के दुगुने के बराबर विशेष प्रारक्षित राशियों की समग्र सीमा को बदले बगैर मैं प्रत्येक वर्ष लाभ की 20 प्रतिशत कटौती तक सीमित करते हुए अवधि को बढ़ाने और लाभों को बैंकों तथा कतिपय वित्तीय निगमों तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं।

उद्यम पूंजी निधियां, विशेष रूप से ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में उद्यम आरम्भ करने हेतु जोखिम पूंजी का एक उपयोगी साधन हैं। क्योंकि ऐसी निधियां माध्यम स्तर (पास थ्रु स्टेटस) की होती हैं, इसलिए वास्तविक वांछनीय क्षेत्रों में किए गए निवेशों के संबंध में कर लाभों को सीमित करना आवश्यक है। तदनुसार, मैं जैव-प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी, नैनोटेक्नोलाजी, बीज अनुसंधान एवं विकास, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नए रसायन तत्वों का अनुसंधान एवं विकास, डेयरी उद्योग, कुक्कुट उद्योग और जैविक-ईंधनों के उत्पादन में उद्यम पूंजी वाले उपक्रमों में केवल निवेशों के संबंध में उद्यम पूंजी निधियों को माध्यम स्तर (पास थ्रु स्टेटस) देने का प्रस्ताव रखता हूं। पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी मैं उन उद्यम पूंजी निधियों को यह लाभ उठाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूं जो कतिपय किस्म और आकार के होटल-सह-सम्मेलन केंद्रों में निवेश करते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इस बजट में आम आदमी को क्या दिया, वह नहीं बताया गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक बात नहीं है। उनकी बात को ध्यान से सुनिए। इस पर सम्पूर्ण चर्चा की जाएगी। यह ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, इस बजट में किसानों द्वारा की गयी आत्महत्याओं के बारे में एक वाक्य भी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपको इस पर चर्चा करने के लिए पूरा अवसर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सरकार को इसका अहसास भी नहीं है ...*(व्यवधान)* किसान रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में एक वाक्य भी नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, किसान रोज मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, आपको इस पर चर्चा के लिए पूरा अवसर मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया ऐसा न करें। आपको इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइये। वित्त मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय,

दिसम्बर, 2006 में मैंने आय-कर अधिनियम की धारा 54ड ग के अन्तर्गत एनएचएआई और आरईसी द्वारा जारी किए गए पूंजी लाभ बांडों के संबंध में प्रतिवर्ष प्रति-निवेशक 50 लाख रुपए की सीमा रखी थी। इसके परिणामस्वरूप, अनेक लघु-निवेशकों ने इन बाडों को प्राप्त करके पूंजी लाभों पर बचत भी की है। मैं इस प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव करते हुए तदनुसार इस आशय की धारा 54डग को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

मैं कला के कतिपय कार्यों को शामिल करने के लिये पूंजी लाभों के कराधार को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं।

मेरा विश्वास है कि मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव और अधिक समस्तरीय समानता (होरिजान्टल इक्विटी) लाए हैं। विषमस्तरीय समानता (वर्टिकल इक्विटी) को सुधारना भी अनिवार्य है। भुगतान की क्षमता पर ध्यान देते हुए कम्पनियों द्वारा संवितरित लाभांशों पर लाभांश संवितरण कर की दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों और लिक्विड म्यूच्युअल फंडों द्वारा संवितरित लाभांशों को रियायती कर दरों का लाभ मिलता है जिससे बड़ी मात्रा में विवाचन के अवसर बढ़ते हैं। मैं ऐसी ईकाइयों द्वारा प्रदत्त लाभांशों पर लाभांश संवितरण कर को सभी निवेशकों के लिए 25 प्रतिशत करके इस विकृत्ति को दूर करने का प्रस्ताव रखता हूं।

अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) अब स्थिर हो गया है। मुझे बिक्री संवर्धन के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः मैं, निःशुल्क नमूनों पर व्यय के साथ-साथ प्रदर्शनों पर व्यय को एफबीटी की परिसीमा से निकालते हुए संदेहों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूं।

अनेक कम्पनियां कर्मचारी स्टाक आप्शन प्लान (ईएसओपी) के माध्यम से कर्मचारियों को अनुषंगी लाभ प्रदान करती हैं। मैं ईएसओपी को एफबीटी के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूं। अनुषंगी लाभ का निर्धारण मूल्य विकल्प को कार्यान्वित करने की तारीख से एक निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

बैंकिंग नकदी लेनदेन पर (बीसीटीटी) बेहिसाबी धन को पकड़ने और उसके स्रोत तथा गन्तव्य स्थान का पता लगाने का एक अत्यन्त उपयोगी साधन बना हुआ है। इससे आय कर विभाग को अनेक प्रकार से काले धन को उपयोग में लाने और हवाला लेनदेनों का पता लगा है। प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नकदी आहरणों को बीसीटीटी के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दु परिवारों के लिए इस छूट की सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि अन्य साधन भी अत्यधिक प्रभावी हो चुके हैं, अतः मैं समझता हूं कि बीसीटीटी की पुनरीक्षा अगले वर्ष करना संभव होगा।

मेरा शिक्षा के लिए उपकर के संबंध में प्रस्ताव है। जहां बुनियादी शिक्षा के निधिकरण हेतु सभी करों पर 2 प्रतिशत का उपकर बना रहेगा, वहां माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 54 प्रतिशत क्षमता विस्तार करने के लिये निधियां जुटाने की क्षमता विस्तार हेतु सभी करों पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर लगाने का मेरा प्रस्ताव है।

अंत में, एक छोटा सा विषय है जिसके बड़े पैमाने पर लाभकारी परिणाम हैं। वर्ष 2001 में ''टर्बो-प्रोप एयरक्राफ्ट को बेचे गए एविएशन टर्बाइन ईंधन'' को सीएसटी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित माल की सूची में शामिल किया गया था। टर्बो-प्रोप एयरक्राफ्ट का स्थान ऐसी नई गुणवत्ता के छोटे एयरक्राफ्ट ने ले लिया है, जिन्होंने बहुत ही छोटे विमान पत्तनों तथा देश के सुदूरवर्ती भागों में विमान सेवाएं देनी आरम्भ की हैं। अतः मैं ऐसे सभी छोटे विमानों को, जो अनुसूचित विमान सेवाओं द्वारा प्रचालित हैं और जिनकी अधिकतम 40,000 किलो ग्राम से कम उड़ान भार क्षमता है, कवर करने के लिए प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं।

कर सुधारों के साथ-साथ सरकार ने कर-प्रशासन पर अत्यधिक जोर दिया है। भारत में करों की वसूली की लागत विश्व के देशों में सबसे कम वालों में है। वर्ष 2007-08 के लिए अनेक प्रशासनिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें वार्षिक सूचना विवरणियों के कवरेज का विस्तार करना, और अधिक क्षेत्रों तक ''रिफन्ड बैंकर सिस्टम'' का विस्तार करना, अधिक बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी माध्यम द्वारा भुगतान की सुविधा का विस्तार करना, कर निर्धारितियों की और श्रेणियों के लिए आय कर विवरणियों को इलैक्ट्रानिकी माध्यम से भरना अनिवार्य बनाना और नए करदाताओं की बड़े पैमाने पर नई यूनिटों का सृजन करना शामिल है।

प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से अनुमानतः 3,000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होने की आशा है। अप्रत्यक्ष करों की दिशा में ये प्रस्ताव राजस्व तटस्थ हैं।

XIV. निष्कर्ष

अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव और जेंडर विकास सूचकांक, उच्च वृद्धि के कारण कम नहीं हैं बल्कि वृद्धि पर्याप्त रूप से अधिक नहीं है। तीव्रतर आर्थिक वृद्धि ने हमें पुनः एक बार झंडा फहराने और हवा का रुख पहचान कर उसका फायदा उठाने का अवसर दिया है। आर्थिक वृद्धि के बिना मैं शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 1,00,000 छात्रवृत्तियों अथवा 1,00,000 रोजगारों की वचनबद्धता नहीं कर सकता था। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए व्यापक भूमि जल पुनर्भरण कार्यक्रम या सामाजिक सुरक्षा का वचन नहीं दे सकता था।

यूपीए सरकार ने बचतों और निवेश के वायदे पूरे किये हैं और अधिक बचतों को प्रोत्साहित करने तथा उन बचतों को और

अधिक निवेशों में लगाने के अपने वायदे के प्रति वह वचनबद्ध है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, नहीं।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: संप्रग सरकार ने विकास के वायदे को पूरा किया और विकास को अत्यधिक व्यापक बनाने के अपने वायदे पर वचनबद्ध रहेगी। मेरा विश्वास है कि नीतियों के सही तालमेल से ही गरीब लोग उस विकास से लाभान्वित होंगे, जो बचतों और निवेश द्वारा संचालित होता है और यह इसकी संपूर्णता है। जैसा कि नोबल पुस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुस, ने कहा है "निर्धनता में तीव्रता से कमी लाने के लिए तीव्रतर विकास अनिवार्य है। इसके लिए अन्य कोई युक्ति नहीं है।"

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 2—श्री पी. चिदम्बरम

कार्यवाही-वृत्तात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा (3)(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्य अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 5802/07]

अपराह्न 12.42 बजे

वित्त विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वित्त विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया गया।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.43 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 1 मार्च, 2007/10 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 28.2.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/25/4/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।